छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – प्रकरण क्रमांक –**SM-EXA-2026-03657**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''हरिदेवेन्द्रम फेस–3'', प्रमोटर–जय अम्बे प्रॉपर्टीज, द्वारा– श्री आलोक जायसवाल, पता–हरिदेवेन्द्रम बनरास रोड, पुलिस स्टेशन के पास, गांधीनगर, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''हरिदेवेन्द्रम फेस–3'' पता–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
02/07/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''हरिदेवेन्द्रम फेस–3'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA 070921001260** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 07.09.2021 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 14.07.2026 को समाप्त हो रही है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक–130 के अनुसार वैधता तिथि समाप्ति के 03 माह के भीतर प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण के लिये आवेदन करना आवश्यक है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 20.05.2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनाँक 14.07.2026 को समाप्त हो रही है। जबकि अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण के लिये दिनाँक 01.05.2026 को आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रथम विस्तारण प्रदान किये जाने पर भी नियत समयावधि में अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य एवं सुविधाओं को वचन के अनुरूप नहीं किया जा सका है एवं पुनः विस्तारण हेतु आवेदन किया गया है। अस्तु अनावेदक का कृत्य धारा–6 के उल्लंघन में है। किन्तु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के क्षेत्र में प्रोजेक्ट पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः विस्तारण पर विचारण का निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। अनावेदक का उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–06 के उपबंधों का उल्लंघन है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में चूँकि विकास कार्य 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –   प्रकरण क्रमांक –**SM-EXA-2026-03657**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''हरिदेवेन्द्रम फेस–3'', प्रमोटर–जय अम्बे प्रॉपर्टीज, द्वारा–
श्री आलोक जायसवाल, पता–हरिदेवेन्द्रम बनरास रोड, पुलिस स्टेशन के पास,
गांधीनगर, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''हरिदेवेन्द्रम फेस–3'' पता–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अतः प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है। 1. रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को आदेशित किया जाता है। अनावेदक प्रमोटर द्वारा निर्धारित दस्तावेज मय आवेदन एवं निर्धारित विस्तारण एवं विलम्ब शुल्क प्राप्त होने के उपरांत प्रोजेक्ट पंजीयन वैधता समाप्ति दिनाँक 15.07.2026 से दिनाँक 14.07.2027 तक पंजीयन विस्तार देते हुए विस्तारण प्रमाण पत्र जारी करे। 2. उपरोक्त प्रोजेक्ट का पंजीयन विस्तार किसी भी दशा में प्रमोटर एवं आबंटिती के मध्य किये गये अनुबंध में उल्लेखित अधिपत्य तिथि को प्रभावित नहीं करेगा। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	